षोडश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-22 शुक्रवार, दिनांक-01 अप्रील, 2016 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 09.00 बजे पूर्वाह्न से 12.25 बजे अप० तक ।

[1] **सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श :-**

बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- 43 के तहत माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका से प्राप्त सूचना ''यह सभा राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को स्वच्छ जल आपूर्ति करने में सरकार की असफलता से उत्पन्न स्थिति'' पर विमर्श :-

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका द्वारा सामन्य लोकहित के विषय पर विमर्श का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया एवं अपना पक्ष रखा । सदन में प्रस्तुत विमर्श के प्रस्ताव पर निम्नांकित मा० सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री चन्द्रसेन प्रसाद

(इस अवसर पर माननीय अध्यासी सदस्य श्री राम नारायण मंडल ने आसन ग्रहण किया ।)

(ii) श्री अरूण कुमार यादव
(iii) श्री मो० आफाक आलम
(iv) श्री राघव शरण पाण्डेय
(v) श्री कुमार सर्वजीत
(vi) श्री रत्नेश सादा
(vii) श्री (डॉ०) सुनील कुमार
(viii) श्री प्रह्लाद यादव
(ix) श्री सुदर्शन सिंह
(x) श्री मो० नवाज आलम

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

(xi) श्री सत्यदेव राम
(xii) श्री राजू तिवारी
(xiii) श्री ललन पासवान
(xiv) श्री विद्या सागर केशरी

तत्पश्चात् प्रभारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा द्वारा सरकार की ओर से उत्तर दिया गया ।

''सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गए ।''

आसन से घोषणा की गयी कि नियम-43 के तहत वाद-विवाद अब समाप्त हुआ ।

[2] प्रश्नोत्तर काल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 21 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 02 तारांकित प्रश्न संख्या 'क' 1969 एवं 2635 स्थगित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(v) 127 तारांकित प्रश्न अनागत ।

[3] कार्यस्थगन :-

माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह से प्राप्त कार्यस्थगन की सूचना नियमानुकूल नहीं होने के कारण आसन द्वारा अमान्य किए जाने की घोषणा की गयी ।

[4] शून्यकाल :-

शून्यकाल की सूचनान्तर्गत राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री केदार प्रसाद गुप्ता	(ii)	श्री मो० नेमतुल्लाह
(iii)	श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह	(iv)	श्री अशोक कुमार सिंह
(v)	श्री नीरज कुमार सिंह	(vi)	श्री विनोद कुमार सिंह
(vii)	श्री (डॉ०) सुनील कुमार	(viii)	श्री तारकिशोर प्रसाद
(ix)	श्री राणा रणधीर	(x)	श्री ललन पासवान
(xi)	श्री विनोद प्रसाद यादव	(xii)	श्री अशोक कुमार सिंह
(xiii)	श्री मो० नवाज आलम	(xiv)	श्री संजय सरावगी
(xv)	श्रीमती पूनम देवी यादव	(xvi)	श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव
(xvii)	श्री रविन्द्र यादव	(xviii)	श्री राम विशुन सिंह
(xix)	श्री सरोज यादव	(xx)	श्री यदुवंश कुमार यादव
(xxi)	श्रीमती भागीरथी देवी	(xxii)	श्री विद्या सागर केशरी

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम का गृह विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया हुआ तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह का ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री शैलेश कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

[6] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, कृषि विभाग, श्री राम विचार राय द्वारा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर का वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का महालेखाकार से प्राप्त पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उसपर विश्वविद्यालय स्तर से की गई कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, श्री विजय प्रकाश द्वारा बिहार न्यूनतम मजदूरी (संशोधन) नियमावली, 2016/ ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा-35(4) के तहत् बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) (संशोधन) नियमावली, 2016/ बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) अधिनियम, 1966 की धारा-44(4) के तहत् बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2016/ बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953

की धारा-40(5) के तहत् बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली, 2016/ मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम, 1961 की धारा-40(3) के तहत् बिहार मोटर परिवहन कर्मचारी (संशोधन) नियमावली, 2016/ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-62(4) के तहत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016/ मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा-26(7) के तहत् बिहार मजदूरी भुगतान (संशोधन) नियमावली, 2016 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-115(2) के तहत् बिहार कारखाना (संशोधन) नियमावली, 2016 की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया। बिहार बीड़ी एवं सिगार कर्मचारी (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, 2016 की प्रति सदन के पटल पर तीस दिनों तक एवं बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) नियमावली 2016 की प्रति सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न माँगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

तदोपरान्त सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अप० से 6.00 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

[7] गैर सरकारी संकल्प :-

(i) 04 गैर सरकारी संकल्प स्वीकृत।

(ii) 08 गैर सरकारी संकल्प अपृष्ठ।

(iii) 02 गैर सरकारी संकल्प अस्वीकृत।

(iv) 118 गैर सरकारी संकल्प वापस।

(v) गैर सरकारी संकल्प क्रमांक संख्या-31, 45 एवं 100 दिनांक 04.04.2016 तक के लिए स्थगित।

(गैर सरकारी संकल्प संख्या-08 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यासी सदस्य श्री हरि नारायण सिंह ने आसन गहण किया।)

गैर सरकारी संकल्प संख्या-107 के निस्तारण के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन गहण किया।

[8] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-49 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 04 अप्रील, 2016 के 09.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक-01 अप्रील, 2016

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।